उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

वृत्तिक और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ।

1.(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, 2019 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिस दिनांक को राज्य सरकार, गजट में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2. जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:–

(क) ''सक्षम प्राधिकारी'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कंपनी, फर्म, अन्य व्यक्ति निकाय या किसी व्यापार चिन्ह या डिजाइन को रजिस्ट्रीकृत करने या कोई पेटेंट प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से है;

(ख) ''संप्रतीक'' का तात्पर्य राज्य के शासकीय मुद्रा के रूप में प्रयोग किये जाने के लिए अनुसूची में यथावर्णित और विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के संप्रतीक से है।

संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध

3. तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई व्यक्ति संप्रतीक या उसकी किसी मिलती–जुलती नकल का, किसी ऐसी रीति, से जिससे यह धारणा उत्पन्न होती है कि वह यथास्थिति सरकार से संबंधित है या यह कि वह राज्य सरकार का कोई शासकीय दस्तावेज है, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना प्रयोग नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए, ''व्यक्ति'' के अंतर्गत राज्य सरकार का कोई पूर्व कृत्यकारी भी सम्मिलित है।

सदोष अभिलाभ के लिये संप्रतीक के प्रयोग का प्रतिषेध

4. कोई व्यक्ति, किसी व्यापार, कारबार, आजीविका या वृत्ति के प्रयोजन के लिए या किसी पेटेंट के नाम में या किसी व्यापारिक चिन्ह या डिजाइन में संप्रतीक का प्रयोग, ऐसे मामलों के सिवाय और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसा कि विहित किया जाय, नहीं करेगा।

कतिपय कंपनियों आदि के रजिस्ट्रीकरण का प्रतिषेध

5.(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई सक्षम प्राधिकारीः—

(क) किसी ऐसे व्यापारिक चिन्ह या डिजाइन, जिस पर संप्रतीक हो, को रजिस्टर नहीं करेगा, या

(ख) किसी ऐसे आविष्कार, जिसका ऐसा नाम हो, जिसमें संप्रतीक आ जाता हो, के संबंध में कोई पेटेंट नहीं प्रदान करेगा।

(2) यदि किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि कोई संप्रतीक अनुसूची में विनिर्दिष्ट संप्रतीक है या उसकी मिलती—जुलती नकल है, तो सक्षम प्राधिकारी उस प्रश्न को राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने की राज्य सरकार की साधारण शक्तियां

6. (1) राज्य सरकार ऐसी शासकीय मुद्रा में, जिसका राज्य सरकार तथा उसके संगठनों जिनमें विदेशी राजनयिक मिशन सम्मिलित हैं, के कार्यालयों में उपयोग किया जाता है, संप्रतीक के उपयोग को विनियमित करने के लिए ऐसे निर्बंधन और शर्तों जैसा कि विहित किया जाय, के अधीन रहते हुए नियमों द्वारा ऐसा उपबन्ध कर सकेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को निम्नलिखित शक्तियां होंगी,—

(क) संवैधानिक प्राधिकारियों, मंत्रियों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा लेखन सामग्री पर संप्रतीक के प्रयोग, अर्धशासकीय लेखन सामग्री पर उसके मुद्रण या उत्कीर्णन की रीति को अधिसूचित करना;

(ख) संप्रतीक से मिलकर बनने वाले शासकीय मुद्रा की डिजाइन को विनिर्दिष्ट करना;

(ग) संवैधानिक प्राधिकारियों, विदेशी उच्च पदस्थों तथा राज्य सरकार के मंत्रियों के यानों पर संप्रतीक के संप्रदर्शन को निर्बंधित करना;

(घ) राज्य के लोक भवनों राजनयिक मिशनों पर और राज्य सरकार द्वारा अधिमुक्त भवनों पर संप्रतीक को संप्रदर्शित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतो का उपबंध करना;

(ड.) विभिन्न अन्य प्रयोजनों, जिनमें शैक्षिक प्रयोजनों हेतु और पुलिस बलों के कार्मिकों के लिए प्रयोग सम्मिलित है, के लिए सप्रंतीक के प्रयोग हेतु शर्ते विनिर्दिष्ट करना;

(च) ऐसी सभी बातें (जिनमें संप्रतीक के डिजाइन का विनिर्देश और इसके प्रयोग की रीति चाहे जो हो, सम्मिलित है) करना जैसा कि राज्य सरकार, पूर्वगामी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

शास्ति

7.(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से, ऐसी अवधि, जो दो वर्ष तक हो सकती है, के लिए या जुर्माने, जो, पॉच हजार रूपये तक का हो सकता है, से या दोनों से दंडनीय होगा अथवा यदि इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही सिद्धदोष ठहराये जाते हुए भी ऐसे किसी अपराध के लिए पुनः सिद्धदोष किया जाता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से ऐसी अवधि, जो छः मास से कम नहीं होगी, जो दो वर्ष तक हो सकती है, के लिए और जुर्माने, जो पॉच हजार रूपये तक हो सकता है, से दंडनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो, सदोष अभिलाभ के लिए धारा 4 के उपवंध का उल्लंघन करेगा, ऐसे अपराध के लिए ऐसे कारावास से, ऐसी अवधि, जो छः मास से कम की नहीं होगी, जो दो वर्ष तक हो सकती है, के लिए और जुर्माने, जो पॉच हजार रूपये तक हो सकता है, से दंडनीय होगा।

अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति

8. इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, संस्थित नहीं किया जाएगा।

व्यावृत्तियां

9. इस अधिनियम की किसी बात से किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी वाद या अन्य कार्यवाहियों से, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरूद्ध की जा सकती हों, में छूट प्राप्त नहीं होगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना

10. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उपबंध, किसी अन्य अधिनियमिति या ऐसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी बात के असम्बद्ध होते हुए भी प्रभावी होगा।

नियम बनाने की शक्ति

11.(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी नियमावली में निम्नलिखित सभी या किसी विषय का उपबंध हो सकता है, अर्थात्:–

(क) धारा 4 के अधीन संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने वाले मामले और शर्तें;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार के शासकीय मुद्रा के संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने और उससे संबंधित निर्बंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के लिये नियमावली बनाना;

(ग) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन लेखन सामग्री पर संप्रतीक का प्रयोग, संप्रतीक वाली शासकीय मुद्रा का डिजाइन और अन्य विषय;

(घ) धारा 8 के अधीन अभियोजन संस्थित करने के लिए पूर्व अनुमोदन देने के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिकारी को प्राधिकृत करना; और

(ड.) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या जिसे विहित किया जाए।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

12.(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उपान्तरण, परिवर्द्धन या चूक स्वरूप ऐसे अनुकूलनों जैसाकि वह आवश्यक एवं समीचीन समझे, के अध्यधीन प्रभावी होंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नही किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

अनुसूची

(धारा 2(ख) देखिए)

उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक

वर्णन और डिजाइन

उत्तर प्रदेश का राजकीय संप्रतीक प्रयागराज स्थित गंगा और यमुना नदियों के संगम, अवध के पूर्व मुस्लिम शासकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु मत्स्य मछली के युम्म और राज्य में स्थित अयोध्या में उत्पन्न हुए हिन्दू देवता राम का प्रतिनिधित्व करने हेतु धनुष एवं वाण का चित्रण करने वाले चक्राकार मुद्रा से निर्मित है।

उत्तर प्रदेश राज्य का संप्रतीक, परिशिष्ट एक या परिशिष्ट दो में दिये गये डिजाइन के अनुरूप होगा।

परिशिष्ट एक

परिशिष्ट दो

उद्देश्य और कारण

राज्य संप्रतीक का किसी लेटर पैड, विजिटिंग कार्ड आदि पर प्रयोग किया जाना, राज्य सरकार की गरिमा तथा प्राधिकार का द्योतक है। यद्यपि राज्य सरकार के प्राधिकार के बिना राज्य संप्रतीक का प्रयोग करना अनुचित है, किन्तु इससे सम्बंधित राज्य में कोई विधि न होने के कारण राज्य संप्रतीक का अनधिकृत प्रयोग, दण्डनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।

अतएव भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 50 सन् 2005) के आलोक में उत्तर प्रदेश राज्य में संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने हेतु एक विधि बनाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0पी0 सिंह–II,
प्रमुख सचिव।